



प्रकाशन हेतु अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

दाण्डिक अपील सं 98 /2024

1 – जय सिंह, पिता राम बहादुर सिंह , लगभग 32 वर्ष , निवासी हसनपुर कसार, थाना-सुल्तानपुर
घोष, जिला-फतेहपुर (यू. पी.)

---अपीलकर्ता

बनाम

1 – छत्तीसगढ़ राज्य थाना प्राधिकारी के द्वारा, पुलिस थाना-कवर्धा, जिला-कबीरधाम, छत्तीसगढ़

---उत्तरवादी

अपीलार्थी हेतु :--श्री विकास प्रधान, अधिवक्ता।

राज्य हेतु :--श्री संघर्ष पांडे, शासकिय अधिवक्ता।

माननीय श्री रमेश सिन्हा, मुख्य न्यायाधीश

तथा

माननीय श्री रवींद्र कुमार अग्रवाल, न्यायाधीश

पीठ पर निर्णय

रवींद्र कुमार अग्रवाल, न्यायाधीश के अनुसार

10-02-2025

1. वर्तमान दाण्डिक अपील दं. प्र. सं. की धारा 374(2) के तहत विद्वान विशेष न्यायाधीश (एनडीपीएस एक्ट) कवर्धा, जिला कबीरधाम द्वारा एनडीपीएस अधिनियम के तहत विशेष दाण्डिक प्रकरण संख्या 492/2022 में दिनांक 13-12-2023 को पारित दोषसिद्धि तथा दंड के आक्षेपित निर्णय के विरुद्ध दायर की गई है, जिसके तहत अपीलकर्ता को नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट, 1985 (संक्षेप में 'एनडीपीएस अधिनियम') की धारा 20(बी)(□□)(सी) के तहत



अपराध के लिए दोषी ठहराया गया है। एवं 11 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 1,00,000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया, अर्थदण्ड अदा न करने पर 1 वर्ष का अतिरिक्त सश्रम कारावास से दण्डित किया।

2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि दिनांक 17-09-2022 को उपनिरीक्षक नरेन्द्र सिंह (पी.डब्लू.-11) को गुप्त सूचना प्राप्त हुई कि जैन धर्मशाला कवर्धा के पास सफेद रंग की कार से 5 बोरी गांजा उतार कर बिलासपुर की ओर भाग गई है तथा एक व्यक्ति 5 बोरी गांजा लेकर किसी का इंतजार कर रहा है। गुप्त सूचना को दिनांक 17-09-2022 को रोजनामचा सनहा क्रमांक 35 में दर्ज किया गया तथा स्वतंत्र साक्षी बीरेन्द्र झारिया एवं जाहूर उर्फ बब्बर को नोटिस जारी किया गया तथा आरक्षक क्रमांक 41 कपिल धुर्वे को स्वतंत्र साक्षी को नोटिस प्र.-पी/31 तामील कराने हेतु भेजा गया। दोनों स्वतंत्र साक्षी आरक्षक कपिल धुर्वे के साथ थाने आये तथा उनकी प्रविष्टि रोजनामचा सनहा 40 में दर्ज की गई जो एक्स.पी/37 है। गुप्त सूचना की सूचना स्वतंत्र साक्षी को दी गई तथा पंचनामा प्र.-पी/2 तैयार किया गया। बिना वारंट के तलाशी लेने की आवश्यकता को देखते हुए पंचनामा प्र.-पी/3 तैयार किया गया तथा कांस्टेबल कृष्ण कुमार लहरे के माध्यम से अनुविभागीय अधिकारी (पी) को एनडीपीएस एक्ट की धारा 42 के तहत सूचना भेजी गई तथा उनका ड्यूटी प्रमाण पत्र प्र.-पी/30 जारी किया गया। पुलिस दल घटना स्थल की ओर रवाना हुआ तथा उनके जाने की सूचना भी रोजनामचा प्र.-पी/41 में दर्ज की गई। जब पुलिस दल जैन धर्मशाला, बिलासपुर रोड, कवर्धा के पास पहुंचा तो देखा कि एक व्यक्ति सड़क के किनारे 5 बड़े बैग के साथ बैठा हुआ है। उसने अपना नाम जय सिंह निवासी हसनपुर कसार, जिला फत्तेपुर, उत्तर प्रदेश बताया। उसे गुप्त सूचना देकर पंचनामा प्र.-पी/44 तैयार किया गया। उसे एनडीपीएस एक्ट की धारा 50 प्र.-पी/5 के तहत नोटिस भी दिया गया तथा उसे तलाशी लेने के अधिकार के बारे में बताया गया था। उसकी सहमति ली गई कि वह पुलिस अधिकारी द्वारा तलाशी लेने के लिए तैयार है। उसकी तलाशी से पहले पुलिस पार्टी ने भी अपनी तलाशी ली और आरोपी के सरकारी वाहन और मोटरसाइकिल की भी तलाशी ली गई और पंचनामा प्र.-पी/8 तैयार किया गया। पुलिस दल की तलाशी लेने पर कोई भी आपत्तिजनक वस्तु नहीं मिली। जब अभियुक्त/अपीलार्थी के बैग की तलाशी ली गई तो उसमें से 5 पैकेट मिले, जिनमें भूरे रंग के प्लास्टिक में लिपटे कुल 25 पैकेट थे और तलाशी पंचनामा प्र.-पी/9 तैयार किया गया। बरामदगी पंचनामा प्र.-पी/10 तैयार किया गया। सभी 25 पैकेटों को खोला गया और पैकेटों से थोड़ी मात्रा निकाली गई और इसकी प्रकृति, गंध, सगड़ से शारीरिक रूप से पहचान की गई और फिर यह गांजा पाया गया और पहचान पंचनामा तैयार किया गया। अपीलार्थी को दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 91 के तहत नोटिस भी दिया गया था, लेकिन वह उक्त गांजे के संबंध में कोई दस्तावेज प्रस्तुत करने में विफल रहा। बरामद गांजे का वजन तौल गवाह कासिद मोहम्मद, पी.डब्लू.-5 द्वारा किया गया, जिसमें कुल वजन 117.100 किलोग्राम पाया गया तथा वजन पंचनामा प्र.-पी/15 तैयार किया गया। मौके पर कार्यपालक मजिस्ट्रेट को बुलाया गया, जिन्होंने 25 पैकेटों की सामग्री को एकरूप किया तथा एकरूपीकरण पंचनामा प्र.-पी/16 तैयार किया गया।



एकरूपीकरण के पश्चात 100 ग्राम के दो नमूना पैकेट अलग किए गए, जिन पर बी1 तथा बी2 अंकित थे तथा शेष गांजे को तीन सफेद थैलियों में भरा गया, जिन पर सी1, सी2 तथा सी3 अंकित थे। बरामद गांजा को जब्ती ज्ञापन प्र.-पी/20 के तहत जब्त किया गया, जिसे सील कर दिया गया। सील पंचनामा प्र.-पी/19 तैयार किया गया। अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया गया और उसकी गिरफ्तारी की सूचना उसके परिजनों को दे दी गई। देहाती नालसी प्र.-पी/43 को मौके पर ही दर्ज किया गया और पूरी कार्यवाही की सूची प्र.-पी/22 तैयार की गई। तलाशी और जब्ती कार्यवाही के बाद पुलिस ने जब्त गांजा और सैंपल पैकेट को पुलिस थाने ले जाया गया, जिसे रोजनामचा प्र.-पी/44 में दर्ज किया गया। देहाती नालसी के आधार पर थाना प्रभारी द्वारा एफआईआर एक्स.पी/45 दर्ज की गई। जब्त सामग्री को मालखाना मोहरीर को सौंप दिया गया तथा पावती एक्स.पी/33 प्राप्त की गई। जब्त गांजे के सैंपल पैकेट को एस.पी. एक्स.पी/47 के मेमो के साथ राज्य एफएसएल रायपुर भेजा गया, जहां से रिपोर्ट एक्स.पी/51 प्राप्त हुई, जिसमें गांजे की सामग्री पाई गई तथा सैंपल पैकेट को रासायनिक जांच के लिए भेजा गया। जब्त गांजे की सूची भी कार्यपालक मजिस्ट्रेट कवर्धा द्वारा तैयार की गई। दं. प्र. सं. की धारा 161 के तहत साक्षियों के बयान दर्ज किए गए और सामान्य अन्वेषण पूरी होने के बाद एनडीपीएस अधिनियम की धारा 20 (बी) के तहत अपराध के लिए विद्वान विचारण न्यायालय के समक्ष आरोप पत्र दायर किया गया।

3. विद्वान विचारण न्यायालय ने एनडीपीएस अधिनियम की धारा 20 (बी) (ii) (सी) के तहत अपराध के लिए अपीलकर्ता के विरुद्ध आरोप निर्धारित किया है। अपीलकर्ता ने आरोप से इनकार किया और परीक्षण का दावा किया। 4. अपीलकर्ता के खिलाफ आरोप साबित करने के लिए अभियोजन पक्ष ने 12 साक्षियों का परीक्षण किया गया। अपीलकर्ता का बयान दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के तहत भी दर्ज किया गया है, जिसमें उसने अपने खिलाफ दिखाई देने वाली परिस्थितियों से इनकार किया, निर्दोष होने का तर्क दिया और कहा कि उसे अपराध में झूठा फंसाया गया है और उसके पास गांजा नहीं था और उसे दोषमुक्त किया जाए। 5. अभियोजन पक्ष द्वारा पेश किए गए साक्ष्यों पर विचार करने के बाद विद्वान विचारण न्यायालय ने अपीलकर्ता को दोषी ठहराया और दंड पारित किया गया, जैसा कि इस निर्णय के पहले भाग में उल्लेख किया गया है। अतः, यह अपील प्रस्तुत किया गया।

6. अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि अभियोजन पक्ष अपने मामले को उचित संदेह से परे साबित करने में विफल रहा है। अभियोजन पक्ष के साक्षियों के साक्ष्य में कुछ महत्वपूर्ण चूकें और विरोधाभास हैं, जिन्हें कथित अपराध के लिए अपीलकर्ता को दोषी ठहराने का आधार नहीं बनाया जा सकता है। एनडीपीएस अधिनियम की धारा 42, 50, 52, 52 ए, 55 और 57 के अनिवार्य प्रावधानों का पालन नहीं किया गया है। नमूने लेने की प्रक्रिया के संबंध में केंद्र सरकार द्वारा जारी स्थायी आदेश संख्या 1/89 का बिल्कुल भी पालन नहीं किया गया है और जांच अधिकारी द्वारा कोई उचित प्रक्रिया नहीं अपनाए जाने के कारण पूरी कार्यवाही विफल हो गई है। उन्होंने आगे कहा कि मालखाना रजिस्टर में



की गई प्रविष्टियों और रासायनिक जांच के लिए भेजे गए नमूनों में विसंगतियां हैं क्योंकि मालखाना रजिस्टर में नमूनों को वहां से निकालकर एफएसएल को भेजने के बारे में कोई प्रविष्टि नहीं है। उन्होंने आगे कहा कि मालखाना रजिस्टर एक्स.-पी/34 सी में की गई प्रविष्टियों में मालखाना से नमूने निकालने का कोई उल्लेख नहीं है। स्वतंत्र साक्षियों ने अभियोजन पक्ष के मामले का समर्थन नहीं किया है और अभियोजन पक्ष यह साबित करने में विफल रहा है कि अपीलकर्ता के पास जब्त गांजा अनन्य रूप से और सचेत अवस्था में पाया गया था और इसलिए, अपीलकर्ता को संबंधित अपराध से जोड़ने के लिए अभिलेख पर कोई पर्याप्त साक्ष्य नहीं है और इस प्रकार, वह दोषमुक्त होने का हकदार है।

7. दूसरी ओर, राज्य के विद्वान अधिवक्ता ने इसका विरोध किया और प्रस्तुत किया है कि अभियोजन पक्ष ने अपने मामले को उचित संदेह से परे साबित कर दिया है। लेकिन छोटी-मोटी चूक या विरोधाभासों के अलावा उनके साक्ष्य पूरी तरह से विश्वसनीय हैं। छोटी-मोटी विसंगतियां जो प्रकृति में तुच्छ हैं, अभियोजन पक्ष के मामले की विश्वसनीयता को प्रभावित नहीं करती हैं। अभियोजन पक्ष के पास अपीलकर्ता को भारी मात्रा में गांजा रखने और उक्त भारी मात्रा में गांजा रखने के मामले में झूठा फंसाने का कोई कारण नहीं है। उन्होंने आगे कहा कि एनडीपीएस अधिनियम के अनिवार्य प्रावधानों को उसकी आवश्यकता के अनुसार विधिवत सिद्ध किया गया है। अपीलकर्ता की ओर से इस बारे में कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है कि उसके पास इतनी बड़ी मात्रा में गांजा कैसे आया। अभिलेख पर उपलब्ध संपूर्ण साक्ष्य पर विचार करने के बाद, विद्वान विचारण न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि अपीलकर्ता कथित अपराध के लिए दोषी है और उसने अपीलकर्ता को दोषी ठहराया है और सजा सुनाई है, जिसमें किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

8. हमने पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना है तथा अभिलेख का अत्यंत सावधानी से अवलोकन किया है।

9. पी.डब्ल्यू.-11 नरेन्द्र सिंह, जो पुलिस उपनिरीक्षक हैं, ने अपने साक्ष्य में कहा है कि दिनांक 17-09-2022 को उन्हें गुप्त सूचना मिली कि एक सफेद रंग की कार ने 5 बड़े बैग में गांजा उतारकर बिलासपुर रोड की ओर भागा है। कवर्धा के जैन धर्मशाला के पास एक व्यक्ति 5 पैकेट लेकर किसी का इंतजार कर रहा था। उन्होंने उक्त सूचना को रोजनामचा सनहा क्रमांक 35 दिनांक 17-09-2022 में दर्ज किया तथा उक्त रोजनामचा एक्स.-पी/35 है। उन्होंने आरक्षक कपिल धुर्वे के माध्यम से स्वतंत्र साक्षी वीरेंद्र झारिया और जहुर उर्फ गब्बर को बुलाया। कांस्टेबल का प्रस्थान रोजनामचा सनहा संख्या 37 में दर्ज किया गया जो कि प्र.-पी/36 है। कांस्टेबल के साथ साक्षियों का आना भी रोजनामचा सनहा संख्या 40 में दर्ज किया गया जो कि प्र.-पी/37 है। साक्षियों को गुप्त सूचना से अवगत कराया गया तथा पंचनामा प्र.-पी/2 तैयार किया गया। गुप्त सूचना के संबंध में रोजनामचा पंचनामा प्र.-पी/38 है। बिना वारंट तलाशी लेने की आवश्यकता का पंचनामा भी तैयार किया गया है, जो प्र.पी./3 है। बिना वारंट तलाशी लेने के लिए आवश्यक गुप्त सूचना पंचनामा आरक्षक कृष्ण कुमार लहरे के माध्यम से उप पुलिस



अधीक्षक कबीरधाम को भेजा गया। उक्त पंचनामा भेजे जाने को रोजनामचा सन्हा प्र.पी./40 में दर्ज किया गया। धारा 42 के तहत नोटिस की पावती प्र.पी./39 है। तत्पश्चात वे पुलिस पार्टी के साथ घटनास्थल की ओर रवाना हुए तथा उनका प्रस्थान भी रोजनामचा सं.46 में दर्ज किया गया है, जो प्र.पी./41 है। जब वे जैन धर्मशाला, बिलासपुर रोड कवर्धा के पास पहुंचे तो देखा कि एक व्यक्ति सड़क के किनारे बैठा है और उसके पास 5 बैग हैं। उसने अपना नाम जय सिंह निवासी गांव हसनपुर कसार, जिला फत्तेपुर, उत्तर प्रदेश बताया। उसे गुप्त सूचना से अवगत कराया गया और पंचनामा प्र.-पी/4 तैयार किया गया। उसे एनडीपीएस एक्ट की धारा 50 के तहत नोटिस भी प्र.-पी/5 दिया गया है। अपीलकर्ता को तलाशी लेने के उसके अधिकार के बारे में बताया गया कि वह मजिस्ट्रेट, राजपत्रित अधिकारी या पुलिस अधिकारी से तलाशी कराने के लिए स्वतंत्र है और उसने उपनिरीक्षक पीडब्लू-11 द्वारा तलाशी कराए जाने के लिए अपनी सहमति दी है। उसका सहमति पत्र एक्स.पी/6 है। पुलिस दल ने भी अपनी तलाशी दी है और पंचनामा एक्स.पी/8 तैयार किया गया है। अपीलार्थी की तलाशी लेने पर उसके पास से एक आधार कार्ड, एक मोबाइल फोन जिसमें सिम कार्ड लगा हुआ था तथा 1700/- रुपये नगद बरामद हुए। बैग की तलाशी लेने पर प्रत्येक बैग में 5 पैकेट मिले, जो भूरे रंग के प्लास्टिक से लिपटे हुए थे। उन पैकेटों से गांजे जैसी गंध आ रही थी, जिसकी तलाशी पंचनामा एक्स.-पी/9 तैयार किया गया। अपीलार्थी से कुल 25 पैकेट बरामद हुए, जिनकी बरामदगी का पंचनामा एक्स.-पी/10 तैयार किया गया। प्रत्येक बैग से लगभग 2-2 ग्राम पदार्थ निकालकर उसे रगड़कर, सूँघकर तथा कुचलकर भौतिक रूप से सत्यापित किया गया, जिससे पता चला कि वह गांजा है, तथा भौतिक रूप से सत्यापन पंचनामा एक्स.-पी/13 तैयार किया गया। अपीलकर्ता को दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 91 के तहत नोटिस भी दिया गया। अपीलकर्ता से जब्त मोबाइल को खोला गया और उसके व्हाट्सएप अकाउंट में गांजा के साथ एक व्यक्ति की तस्वीर और चैटिंग निकाली गई और मोबाइल पंचनामा प्र.-पी/12 तैयार किया गया। तौल साक्षी कासिद मोहम्मद को बुलाया गया और तौल उपकरणों का भौतिक सत्यापन किया गया और पंचनामा प्र.-पी/14 तैयार किया गया। बरामद सामान का वजन करने पर कुल वजन 117.100 किलोग्राम पाया गया और तौल पंचनामा प्र.-पी/15 तैयार किया गया। 25 बैगों से कुल 117.100 किलोग्राम गांजा बरामद किया गया। पैकेट अलग-अलग वजन के थे, लेकिन गांजे की कुल मात्रा 117.100 किलोग्राम थी। तहसीलदार/कार्यकारी मजिस्ट्रेट को सूची कार्यवाही के लिए बुलाया गया। नायब तहसीलदार अनिल सेन, पी.डब्लू.-7 ने मौके पर आकर बैगों से जब्त गांजे की पूरी मात्रा का समरूपण किया तथा 100-100 ग्राम के दो नमूने लिए। समरूपीकरण पंचनामा एक्स.-पी/16 तैयार किया गया। सैंपल पैकेट पर बी1 और बी2 अंकित था तथा गांजा की शेष मात्रा को 3 थैलियों में भर दिया गया। साक्षियों की उपस्थिति में तौल पंचनामा एक्स.-पी/17 भी तैयार किया गया। शेष गांजा की मात्रा जिसे 3 थैलियों में भर दिया गया था, उसे सील कर दिया गया तथा सी1, सी2 और सी3 अंकित किया गया। एक अन्य थैले में भूरे रंग की प्लास्टिक टेप लगी थी, तथा एक अलग थैले में 5 बड़ी खाली थैलियां सील कर दी गई थीं तथा डी1 और डी2 अंकित किया गया था। सीलिंग पंचनामा एक्स.-पी/18



भी मौके पर ही तैयार किया गया। नमूना सील पंचनामा प्र.-पी/19 भी तैयार किया गया। कुल 116.900 किग्रा. गांजा, 100 ग्राम के 2 नमूना पैकेट मौके पर जब्त किए गए तथा जब्ती ज्ञापन प्र.-पी/20 तैयार किया गया। अपीलार्थी को गिरफ्तार किया गया तथा उसकी गिरफ्तारी की सूचना उसके परिजनों को प्र.-पी/42 के माध्यम से दी गई। देहाती नलिसी प्र.-पी/42 दर्ज की गई तथा संपूर्ण कार्यवाही का पंचनामा भी तैयार किया गया जो प्र.-पी/22 है। साक्षियों के बयान दर्ज किया गया। जप्त गांजा, उसके नमूना पैकेट तथा अपीलार्थी को पुलिस थाने ले जाया गया तथा आमद को रोजनामचा प्र.-पी/44 में दर्ज किया गया। देहाती नलिसी के आधार पर एफआईआर प्र.-पी/45 दर्ज की गई। जब्त गांजा, उसके सैंपल पैकेट और खाली बैग को मालखाना में सुरक्षित रखा गया है और इसकी पावती प्र.पी./33 है। जब्त सामग्री का सुपर्दनामा दिया गया है, जिसे रोजनामचा सनहा क्रमांक 105 में भी पृष्ठांकित किया गया है, जो प्र.पी./46 है। गांजा बी1, बी2 के सैंपल पैकेट को पुलिस अधीक्षक कबीरधाम के ज्ञापन के साथ कांस्टेबल रेखचंद जायसवाल के माध्यम से एफएसएल जांच के लिए भेजा गया है और ज्ञापन प्र.पी./47 है। कांस्टेबल का एफएसएल के लिए प्रस्थान सनहा क्रमांक 4 में दर्ज है, जो प्र.पी./48 है। एफएसएल को सैंपल पैकेट जमा करने की पावती एक्स.पी/49 है और कांस्टेबल द्वारा थाने में आने की पावती एक्स.पी/50 है। एफएसएल रिपोर्ट एक्स.पी/51 है। घटनास्थल का नक्शा एक्स.पी/23 पुलिस द्वारा तैयार किया गया था। एनडीपीएस अधिनियम की धारा 52ए के तहत कार्यकारी मजिस्ट्रेट को ज्ञापन भी दिया गया था और रिपोर्ट एक्स.पी/52 है। उन्होंने साक्षियों के बयान दर्ज किए और आरोप पत्र दायर किया गया है। प्रतिपरीक्षा में उन्होंने कहा कि उन्हें दोपहर करीब 1:30 बजे गुप्त सूचना मिली थी और संबंधित प्रविष्टियां सनहा संख्या 35 में दर्ज की गई हैं। उन्होंने गुप्त सूचना के लिए कोई अलग से सनहा दर्ज नहीं कराया है। उन्होंने बचाव पक्ष द्वारा दिए गए इस सुझाव से इनकार किया कि उन्होंने पुलिस थाना में सभी दस्तावेज तैयार किए और अपीलकर्ता के साथ-साथ गवाहों के हस्ताक्षर भी प्राप्त किए। उन्होंने इस बात से भी इनकार किया कि उन्होंने तलाशी वारंट प्राप्त करने का प्रयास नहीं किया। उन्होंने स्वीकार किया कि अपीलकर्ता के वहां से भागने की संभावना की आकस्मिक स्थिति को देखते हुए उन्होंने किसी अन्य विभाग के राजपत्रित अधिकारी से संपर्क करने का प्रयास नहीं किया क्योंकि उनके वरिष्ठ अधिकारी मौजूद नहीं थे, इसलिए उनके पक्ष में कोई प्राधिकार पत्र जारी नहीं किया गया। उन्होंने इस बात से भी इनकार किया कि अपीलकर्ता को एनडीपीएस एक्ट की धारा 50 के तहत नोटिस नहीं दिया गया है। उन्होंने स्वीकार किया कि बैग से बरामद बैग भूरे रंग की पॉलीथीन में लिपटे हुए थे, हालांकि उन्होंने स्वीकार किया कि उन्होंने जब्त पैकेटों के अंकन के संबंध में कोई अलग पंचनामा तैयार नहीं किया है। उन्होंने स्वेच्छा से कहा कि सभी पैकेटों पर ए 1 से ए 25 तक अंकन किया गया था, जिसका उल्लेख जब्ती ज्ञापन में किया गया है। उन्होंने इस बात से भी इनकार किया कि पुलिस थाना में भौतिक सत्यापन पंचनामा प्र.-पी/14 तैयार किया जाता है। उन्होंने इस बात से भी इनकार किया कि तौल उपकरण का भौतिक सत्यापन नहीं किया गया है। उन्होंने स्वीकार किया कि सभी 25 पैकेटों का अलग-अलग वजन किया गया तथा उन्होंने जब्त गांजे को एकरूप करने तथा उसमें से नमूने



लेने के लिए कार्यपालक दंडाधिकारी को बुलाया। उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि एकरूप करने, नमूना लेने तथा सील करने का कार्य कार्यपालक दंडाधिकारी द्वारा किया गया। उन्होंने स्वीकार किया कि कार्यपालक दंडाधिकारी ने नमूने के पैकेटों में अपनी सील नहीं लगाई है। उन्होंने स्वीकार किया कि सील करने के पंचनामा में उन्होंने सील की स्याही की छाप का उपयोग किया है। उन्होंने स्वयं जब्त सामान को मालखाना में जमा कर दिया है। उन्होंने स्वीकार किया कि एस.एच.ओ. ने जब्त सामान को थाने में दोबारा सील नहीं किया है। उन्होंने स्वीकार किया कि उन्होंने पूरी कार्यवाही की वीडियोग्राफी या फोटोग्राफी नहीं कराई है। उन्होंने इस बात से इनकार किया कि उन्होंने उक्त कार के संबंध में जांच नहीं की है। उन्होंने स्वेच्छा से कहा कि उन्हें सफेद रंग की कार के बारे में कोई सुराग नहीं मिला। उन्होंने आगे स्वीकार किया कि पुलिस अधीक्षक द्वारा नमूना पैकेट एफएसएल भेजने के लिए जारी ज्ञापन में उस कांस्टेबल का नाम नहीं है, जिसने इसे लिया है। 10. पीडब्लू-1 बीरेंद्र झारिया और पीडब्लू-2 जहूर उर्फ गब्बर खान स्वतंत्र साक्षी हैं। हालांकि वे पक्षद्रोही गए हैं, उन्होंने दस्तावेजों एक्स.-पी/1 से पी/24 में अपने हस्ताक्षर स्वीकार किए हैं।

11. पीडब्लू-3 मोरध्वज साहू (पीडब्लू-3) ने अपने साक्ष्य में कहा है कि 07-09-2022 को एसडीओ कवर्धा के निर्देश पर उन्होंने जब्त गांजा को समरूप किया और उसमें से नमूना पैकेट निकाले। उन्होंने गांजा को एक समान करके 100 ग्राम के दो नमूने अलग किए। नमूने के पैकेट, शेष गांजा और खाली थैलियों को अलग-अलग सील कर दिया गया। समरस पंचनामा एक्स.-पी/16 उनके द्वारा तैयार किया गया। प्रतिपरीक्षा में उन्होंने बताया कि उन्होंने सभी पैकेटों की पूरी मात्रा को एक समान कर दिया और फिर दो नमूने अलग कर लिए। उन्होंने स्वीकार किया कि उन्होंने किसी भी पैकेट को सील नहीं किया है और न ही उनके द्वारा किसी भी प्रकार की सील लगाई गई है। उन्होंने स्वेच्छा से कहा कि उन्होंने पैकेट को बंद किया और एक पर्ची चिपकाने के बाद उसे सील किया गया। उन्होंने उक्त पर्ची पर अपने हस्ताक्षर किए, जिसमें साक्षियों के हस्ताक्षर भी थे। समरूपीकरण और नमूने लेने के बाद उन्होंने उक्त गांजे को थैलियों में भर लिया। उन्होंने स्वीकार किया कि कार्यपालक मजिस्ट्रेट के आदेश से जब्त गांजे को समरूपीकृत करने के संबंध में मामले में कोई दस्तावेज संलग्न नहीं है। उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि समरूपीकरण पंचनामा में इस बात का कोई उल्लेख नहीं है कि इसे थैलियों में भर लिया गया था और न ही उस पर कोई चिह्नांकन है। इस साक्षी से बचाव पक्ष कोई भी ऐसी सामग्री नहीं निकाल सका, जिससे इस साक्षी का साक्ष्य संदिग्ध हो या पूरी तलाशी और जब्ती की कार्यवाही पर संदेह पैदा हो। वह कार्यपालक मजिस्ट्रेट है, वह मौके पर गया, गांजा की पूरी मात्रा को एकरूप किया, नमूना लिया और अपना काम किया, जिसे उसने विधिवत साबित किया।

12. प्रदीप चंद्राकर, पीडब्लू-4 पटवारी है, जिसने घटनास्थल का नक्शा प्र.-पी/24 तैयार किया।



13. कासिद मोहम्मद, पीडब्लू-5 जो तौल गवाह है, उसने अभियोजन पक्ष के मामले का समर्थन नहीं किया और पक्षद्रोही हो गया। हालांकि, उसने प्र.-पी/14, प्र.-पी/15, प्र.-पी/17 और प्र.-पी/28 दस्तावेजों में अपने हस्ताक्षर स्वीकार किए।

14. कृष्ण कुमार लहरे, पीडब्लू-6 कांस्टेबल है, जिसने गुप्त सूचना और बिना वारंट के तलाशी की सूचना उप पुलिस अधीक्षक, कबीरधाम के कार्यालय में पहुंचाई।

15. अनिल कुमार सेन, पीडब्लू-7 एक अन्य कांस्टेबल और सर्च पार्टी का सदस्य है, जिसने मौके पर की गई सर्च और जब्ती की कार्यवाही को भी साबित किया है। वह पूरी तलाशी और जब्ती की कार्यवाही में भी दृढ़ रहा।

16. कपिलराज ध्रुवे (पीडब्लू-8) एक अन्य कांस्टेबल है, जिसने स्वतंत्र गवाह बीरेंद्र झारिया और गब्बर खान को बुलाया और वह भी सर्च पार्टी का सदस्य था।

17. देवेंद्र सिंह चंद्रवंशी पीडब्लू-9, एक अन्य कांस्टेबल है, जिसके माध्यम से तौल गवाह कासिद मोहम्मद को बुलाया गया था और उसने भी तलाशी पंचनामा एक्स.-पी/8 को साबित किया है।

18. राजेश सिंह (पीडब्लू-10) पुलिस स्टेशन कवर्धा में मालखाना मोहर्रिर है। उसने बताया कि 13-09-2022 को लगभग 2:10 बजे ए.एस.आई. नरेन्द्र सिंह ने जब्त सामान को मालखाना में सुरक्षित रखने के लिए दे दिया है तथा पावती प्ररूप-पी/33 जारी कर दी है, जिसे उन्होंने मालखाना रजिस्टर में दर्ज करा दिया है, जो प्ररूप-पी/34 है। उन्होंने स्टेट एफएसएल रायपुर से रासायनिक परीक्षण के लिए दो सैंपल पैकेट रेखचंद जायसवाल, कांस्टेबल क्रमांक 624 को दिए हैं। प्रतिपरीक्षा में उन्होंने स्वीकार किया कि उन्होंने एक्स.पी/33 में सामान प्राप्त करने के समय का समर्थन नहीं किया है। उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि जिस मालखाना रजिस्टर से सामान प्राप्त किया गया है, उसमें सनहा नंबर का उल्लेख नहीं किया गया है। उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि वे मालखाना रजिस्टर एक्स.पी/34 के आधार पर यह नहीं बता सकते कि जमा सामान कब मालखाना से निकाला गया। उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि मालखाना रजिस्टर में सैंपल पैकेट पर किसी तरह की सील लगाने या उस पर किसी तरह के निशान लगाने का उल्लेख नहीं है। जब्ती रजिस्टर में सील का निशान भी नहीं अंकित किया गया है। उन्होंने स्वीकार किया कि जब्ती रजिस्टर में यह प्रविष्टि नहीं है कि सामान सूची के लिए निकाला गया था। कुछ स्वीकारोक्ति के बावजूद, यह गवाह यह कहने में दृढ़ रहा है कि सहायक उपनिरीक्षक नरेंद्र सिंह ने जब्त गांजा और उसके सैंपल पैकेट को सुरक्षित अभिरक्षा में मालखाना में जमा कर दिया है।

19. सालिक बंजारे, पीडब्लू-12, अनुविभागीय अधिकारी (पी) के कार्यालय में पदस्थ कांस्टेबल है, जिसने पावती प्र.-पी/39 को साबित किया है जो एनडीपीएस अधिनियम की धारा 42 के तहत सूचना से संबंधित है।



20. अपीलकर्ता के विद्वान वकील का यह तर्क कि अधिनियम की धारा 42 के प्रावधानों का पालन नहीं किया गया है।

21. पीडब्लू-11 ने स्पष्ट किया है कि उसने कांस्टेबल सालिक बंजारे पीडब्लू-12 के माध्यम से अपने वरिष्ठ अधिकारी को गुप्त सूचना भेजी थी, उसने गुप्त सूचना की सूचना की प्राप्ति के संबंध में पावती प्र.-पी/39 को साबित किया। अन्यथा भी, मामले में धारा 42 लागू नहीं होगी क्योंकि सार्वजनिक स्थान से गांजा जब्त कर लिया गया है तथा इसलिए, एन. डी. पी. एस. की धारा 43 लागू होती है जो प्रदान करती है कि:---

"43. सार्वजनिक स्थान पर जब्ती और गिरफ्तारी की शक्ति- धारा 42 में उल्लिखित किसी भी विभाग का कोई भी अधिकारी:---

(क) किसी सार्वजनिक स्थान पर या पारगमन में, कोई स्वापक औषधि या मनःप्रभावी पदार्थ या नियंत्रित पदार्थ जब्त करना जिसके संबंध में उसके पास यह विश्वास करने का कारण है कि इस अधिनियम के तहत दंडनीय अपराध किया गया है, और ऐसी औषधि या पदार्थ के साथ, इस अधिनियम के तहत जब्त करने योग्य कोई पशु या वाहन या वस्तु, कोई दस्तावेज या अन्य वस्तु जिसके बारे में उसके पास यह विश्वास करने का कारण है कि वह इस अधिनियम के तहत दंडनीय अपराध के किए जाने का साक्ष्य प्रस्तुत कर सकती है या कोई दस्तावेज या अन्य वस्तु जो किसी अवैध रूप से अर्जित संपत्ति को धारण करने का साक्ष्य प्रस्तुत कर सकती है जो इस अधिनियम के अध्याय वीए के तहत जब्ती या फ्रीजिंग या जब्ती के लिए उत्तरदायी है;

(ख) किसी ऐसे व्यक्ति को हिरासत में ले सकता है और उसकी तलाशी ले सकता है जिसके बारे में उसे विश्वास है कि उसने इस अधिनियम के तहत दंडनीय अपराध किया है, और यदि ऐसे व्यक्ति के पास कोई स्वापक औषधि या मनःप्रभावी पदार्थ या नियंत्रित पदार्थ है और ऐसा कब्जा उसे गैरकानूनी लगता है, तो उसे और उसके साथ मौजूद किसी अन्य व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकता है।

स्पष्टीकरण- इस धारा के प्रयोजनों के लिए, "सार्वजनिक स्थान" में कोई सार्वजनिक वाहन, होटल, दुकान या अन्य स्थान शामिल है जो जनता द्वारा उपयोग के लिए अभिप्रेत है या जनता के लिए सुलभ है।"

22. प्रतिबंधित पदार्थ को खुले स्थान से बैग से बरामद किया गया और जब्त किया गया। चूंकि प्रतिबंधित पदार्थ को सार्वजनिक स्थान से बरामद किया गया और जब्त किया गया था, जिसे धारा 43(ए) के अनुसार 5 बैगों में रखा गया था, अर्थात्, "किसी भी सार्वजनिक या पारगमन में जब्त किया गया", इस न्यायालय की यह राय है कि एनडीपीएस अधिनियम की धारा 43 लागू होती है और इस प्रकार, विश्वास के लिए कारण दर्ज करना और तलाशी और जब्ती करने से पहले अपराध के संबंध में



लिखित रूप में प्राप्त जानकारी को दर्ज करना, एनडीपीएस अधिनियम की धारा 43 के तहत अनुपालन करने की आवश्यकता नहीं है।

23. अपीलकर्ता के विद्वान वकील का अगला तर्क यह है कि एनडीपीएस अधिनियम की धारा 50 का भी अनुपालन नहीं किया गया है क्योंकि एनडीपीएस अधिनियम की धारा 50 के तहत कानून के अनुसार पुलिस प्राधिकारी द्वारा अपीलकर्ता को उनकी तलाशी के बारे में सूचित नहीं किया गया है।

24. धारा 50 के प्रावधान अभियुक्त की वर्तमान तलाशी पर लागू होते हैं, जबकि वर्तमान मामले में अपीलकर्ता द्वारा रखे गए बैग से गांजा बरामद किया गया था, जिसे उसकी व्यक्तिगत तलाशी नहीं कहा जा सकता है। अपीलकर्ता के बैग की तलाशी एनडीपीएस अधिनियम की धारा 50 के अंतर्गत नहीं आती है और किसी व्यक्ति की तलाशी किसी अन्य बैग आदि की तलाशी से अलग होती है।

25. पंजाब राज्य बनाम बलदेव सिंह के मामले में 1999 (6) एससीसी 172 में रिपोर्ट किए गए अपने निर्णय के कंडिका 12 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया है:

"12. इसके स्पष्ट पढ़ने पर, धारा 50 केवल किसी व्यक्ति की तलाशी के मामले में लागू होगी, जो किसी परिसर आदि की तलाशी से अलग है। हालाँकि, यदि सशक्त अधिकारी, अधिनियम की धारा 42 के अनुसार किसी पूर्व सूचना के बिना किसी अपराध या संदिग्ध अपराध की सामान्य जांच के दौरान तलाशी लेता है या व्यक्ति को गिरफ्तार करता है और उस तलाशी के पूरा होने पर, एनडीपीएस अधिनियम के तहत एक प्रतिबंधित पदार्थ भी बरामद होता है, तो अधिनियम की धारा 50 की आवश्यकताएं लागू नहीं होती हैं।

26. कुलविंदर सिंह और अन्य बनाम पंजाब राज्य के मामले में 2015 (6) एससीसी 674 में रिपोर्ट किए गए अपने निर्णय के कंडिका 18 तथा 21 में सूचित माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया है कि:

"18. धर्मपाल सिंह बनाम पंजाब राज्य में, यह निर्णय दिया गया है कि "कब्ज़ा" शब्द सभी कानूनों के संदर्भ में सार्वभौमिक अनुप्रयोग की सटीक और पूर्ण तार्किक परिभाषा के योग्य नहीं है। हाल ही में, मोहन लाल बनाम राजस्थान राज्य 11 में, कुछ प्राधिकारियों का संदर्भ देने के बाद, इस न्यायालय ने निम्नलिखित अभिनिर्धारित किया है कि: ---

"21. कानून की उपरोक्त व्याख्या से यह स्पष्ट है कि एनडीपीएस अधिनियम की धारा 18 के उद्देश्य के लिए "कब्ज़ा" शब्द का अर्थ शत्रुता के साथ शारीरिक कब्ज़ा, शत्रुता के साथ निषिद्ध पदार्थ पर हिरासत या प्रभुत्व या यहाँ तक कि छिपाने के परिणामस्वरूप प्रभुत्व और नियंत्रण का प्रयोग भी हो सकता है। शत्रुता और मानसिक आशय जो कब्जे को दिखाने और स्थापित करने के लिए प्राथमिक और महत्वपूर्ण तत्व है। इसके अलावा, किसी विशेष स्थान या साइट पर किसी सुसंगत समय पर "संपत्ति" यानी अवैध



पदार्थ के अस्तित्व के बारे में व्यक्तिगत ज्ञान और ज्ञान पर आधारित आशय, अद्वितीय संबंध और स्पष्ट कब्जे का गठन करेगा। ऐसी स्थिति में, कब्जे की उपस्थिति और अस्तित्व को उचित ठहराया जा सकता है, क्योंकि आशय पदार्थ या संपत्ति पर अधिकार का प्रयोग करना और दूसरों को छोड़कर मालिक के रूप में कार्य करना है।

22. इस मामले में, हम मानते हैं कि अपीलकर्ता के पास अपेक्षित नियंत्रण था, भले ही उक्त मादक पदार्थ उस समय उसके शारीरिक नियंत्रण में न हो। उदाहरण के लिए, कोई व्यक्ति किसी संपत्ति में प्रतिबंधित मादक पदार्थ छिपा सकता है और उसके बाद बाहर निकल सकता है। उक्त व्यक्ति आवश्यक दुश्मनी के कारण उक्त पदार्थ को अपने कब्जे में रख सकता है, भले ही वह उस समय भौतिक नियंत्रण में न हो। जब कोई व्यक्ति सार्वजनिक स्थान पर प्रतिबंधित मादक पदार्थ को छिपाता है तो स्थिति को अलग तरीके से नहीं देखा जा सकता है। दूसरे श्रेणी के मामलों में, व्यक्ति के पास इसलिए कब्जा होगा क्योंकि उसके पास आवश्यक दुश्मनी है और नियंत्रण और प्रभुत्व बनाए रखने का आशय है।"

21. हिमाचल प्रदेश राज्य बनाम पवन कुमार में, यह अभिनिर्धारित किया गया है कि: "10. हम यहाँ "व्यक्ति" शब्द की व्यापक परिभाषा से चिंतित नहीं हैं, जिसमें कानूनी दुनिया में निगम, संघ या व्यक्तियों का निकाय शामिल है क्योंकि इस प्रकार के मामलों में वास्तव में उनके परिसर की तलाशी ली जा सकती है, न कि उनके व्यक्ति की। अधिनियम की योजना और उस संदर्भ को ध्यान में रखते हुए जिसमें इसे धारा में इस्तेमाल किया गया है, इसका स्वाभाविक रूप से अर्थ एक मानव या एक जीवित व्यक्तिगत इकाई है, न कि एक कृत्रिम व्यक्ति। इस शब्द को व्यापक सामान्य ज्ञान के तरीके से समझा जाना चाहिए और इसलिए, किसी मानव का नग्न या नग्न शरीर नहीं बल्कि जिस तरह से एक सामान्य मानव सभ्य समाज में घूमता है। इसलिए, "व्यक्ति" शब्द का सबसे उपयुक्त अर्थ प्रतीत होता है – "मानव शरीर जिसे आम तौर पर उसके उचित आवरण और कपड़ों के साथ सार्वजनिक दृश्य में प्रस्तुत किया जाता है"। सभ्य समाज में उचित आवरण और वस्त्र को अत्यंत आवश्यक माना जाता है और कोई भी समझदार व्यक्ति उचित आवरण और वस्त्र के बिना दूसरों की नज़रों में नहीं आता है। उचित आवरण में जूते भी शामिल होंगे क्योंकि आम तौर पर इसे घर से बाहर निकलते समय पहनने के लिए एक आवश्यक वस्तु माना जाता है। ऐसे उपयुक्त आवरण या वस्त्र या जूते पहनने के बाद बिना किसी सराहनीय या अतिरिक्त प्रयास के मानव शरीर के साथ चलते हैं। एक बार पहनने के बाद, वे आम तौर पर मानव शरीर से अलग नहीं होते जब तक कि उस दिशा में कुछ विशेष प्रयास न किया जाए। प्रावधान की व्याख्या के लिए, कुछ धार्मिक साधुओं और ऋषियों के दुर्लभ मामलों पर ध्यान नहीं दिया जाना चाहिए, जो अपने धार्मिक विश्वास के सिद्धांतों के अनुसार अपने शरीर को वस्त्रों से नहीं ढकते हैं। इसलिए, शब्द 'व्यक्ति' का अर्थ उचित आवरण और वस्त्र और जूते पहने हुए मानव होगा।

11. किसी भी परिस्थिति में एक बैग, ब्रीफकेस या ऐसी कोई वस्तु या कंटेनर आदि को मानव शरीर नहीं माना जा सकता है। उन्हें एक अलग नाम दिया गया है और इस तरह से उनकी पहचान की जा सकती



है। उन्हें दूर से भी किसी इंसान के शरीर का हिस्सा नहीं माना जा सकता है। किसी व्यक्ति की शारीरिक क्षमता के आधार पर, वह बैग, ब्रीफकेस, सूटकेस, टिन बॉक्स, थैला, झोला, गठरी, होल्डॉल, कार्टन आदि जैसी कई चीजें उठा सकता है, जिनका आकार, आयाम या वजन अलग अलग हो सकता है। हालाँकि, उन्हें ले जाते या साथ चलते समय कुछ अतिरिक्त प्रयास या ऊर्जा की आवश्यकता होगी। उन्हें या तो हाथ से उठाना होगा या कंधे या पीठ पर लटकाना होगा या सिर पर रखना होगा। आम बोलचाल में यह कहा जाता है कि कोई व्यक्ति किसी विशेष वस्तु को ले जा रहा है, जिस तरीके से उसे ले जाया गया है जैसे हाथ, कंधा, पीठ या सिर आदि। इसलिए, इन वस्तुओं को अधिनियम की धारा 50 में आने वाले "व्यक्ति" शब्द के दायरे में शामिल करना संभव नहीं है।"

27. अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा किया गया अगला निवेदन यह है कि जब्त की गई वस्तुओं से नमूने लेने के मामले में एनडीपीएस अधिनियम की धारा 52 ए के साथ-साथ केंद्र सरकार द्वारा जारी 1/89 के परिपत्र का अनुपालन नहीं किया गया है। अतः, एनडीपीएस अधिनियम के अनिवार्य प्रावधानों का पर्याप्त गैर-अनुपालन है और अपीलकर्ता दोषमुक्त होने का हकदार है।

28. पीडब्लू-11 एसआई नरेंद्र सिंह के साक्ष्य से यह रिकॉर्ड में आता है कि जब वह मौके पर गया तो उसने अपीलकर्ता को 5 बैगों के साथ पाया, वह किसी का इंतजार कर रहा था तथा उन्होंने कार्यकारी मजिस्ट्रेट/तहसीलदार को गांजा की जब्त के सत्यापन तथा सूची तैयार करने तथा नमूना लेने हेतु भी बुलाया। कार्यपालक दंडाधिकारी पीडब्लू-3 मोरध्वज साहू मौके पर आए और जब्त गांजे का समरूपीकरण करने के बाद उन्होंने 100-100 ग्राम के दो नमूने लिए और रिपोर्ट तैयार की। वजन करने पर गांजे की कुल मात्रा 117.100 किलोग्राम पाई गई।

29. हाल ही में भारत आंबले बनाम छत्तीसगढ़ राज्य के मामले में सीआरए संख्या 250/2025, आदेश दिनांक 06-01-2025 में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया है कि एनडीपीएस अधिनियम की धारा 52-ए के तहत निर्धारित प्रक्रिया का पालन करने में किसी भी विफलता के बावजूद यदि अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत रिकॉर्ड पर अन्य सामग्री विश्वास पैदा करती है और अभियुक्त से प्रतिबंधित पदार्थ की बरामदगी और कब्जे दोनों के संबंध में न्यायालय को संतुष्ट करती है, तो ऐसे मामलों में भी न्यायालय एनडीपीएस अधिनियम की धारा 52-ए के संदर्भ में किसी भी प्रक्रियात्मक कठिनाई के बावजूद बिना किसी हिचकिचाहट के दोषसिद्धि के लिए आगे बढ़ सकते हैं।

30. भारत आंबले (सुप्रा) के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कंडिका 25 से 37 में निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया है:

"25. नूर आगा (सुप्रा) में दोषसिद्धि का आदेश न केवल धारा 52 ए के उल्लंघन के आधार पर बल्कि रंग और वजन जैसे भौतिक साक्ष्य में कई अन्य विसंगतियों और किसी भी स्वतंत्र गवाह की कमी के कारण रद्द कर दिया गया था। वास्तव में, इस न्यायालय ने धारा 52 ए के संदर्भ में उक्त मामले में प्रक्रियात्मक



कमियों के प्रति सचेत होने के बावजूद यह टिप्पणी की कि यदि कोई अन्य विसंगतियां नहीं होती या यदि अभिलेख पर अन्य सामग्री विश्वसनीय पाई जाती या स्वतंत्र गवाहों द्वारा समर्थित होती तो मामला पूरी तरह से अलग हो सकता था।सुसंगत टिप्पणियाँ निम्नानुसार हैं:---

“107. मालखाने में सील भी जमा नहीं की गई थी । चूंकि इस संबंध में कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है, इसलिए यह मानना मुश्किल है कि वसूली की पवित्रता सुनिश्चित की गई थी। यहां तक कि मालखाना रजिस्टर भी पेश नहीं किया गया था।

XX

108. बरामदगी के समय के संबंध में भी विसंगतियां हैं। बरामदगी ज्ञापन, प्रदर्श पीबी, दर्शाता है कि जब्ती का समय रात 11.20 बजे था। पीडब्लू 1 कुलवंत सिंह और पीडब्लू 2 केके गुप्ता ने, हालांकि, कहा कि जब्ती का समय रात 8.30 बजे था। अपीलकर्ता का बचाव यह था कि किसी यात्री द्वारा छोड़ा गया कोई कार्टन उस तक पहुंचा दिया गया था, इस संबंध में चालक दल का सदस्य होना महत्वपूर्ण है (जितेंद्र कंडिका 6 देखें)। पीडब्लू 1 के अनुसार पंचनामा रात 10 बजे तैयार किया गया था, जबकि पीडब्लू 2 ने कहा कि पंचनामा रात 8.30 बजे तैयार किया गया था। अधिनियम की धारा 50 के तहत व्यक्तिगत तलाशी लेने के कथित विकल्प वाले प्रदर्श पीए में केवल उस समय का उल्लेख किया गया था जब विमान हवाई अड्डे पर उतरा था।

XX

111. इस तरह के मामले में, जहां बड़ी संख्या में विसंगतियां हैं, अपीलकर्ता को उनकी गैर-परीक्षा से गंभीर रूप से नुकसान पहुंचा है। यह सत्य है कि जो बात मायने रखती है वह सबूतों की गुणवत्ता है न कि उनकी मात्रा, लेकिन इस तरह के मामले में जहां प्रक्रियात्मक सुरक्षा उपायों का सख्ती से पालन किया जाना आवश्यक था, अभियोजन पक्ष को यह स्पष्ट करना चाहिए कि महत्वपूर्ण गवाहों की जांच क्यों नहीं की गई। यदि भौतिक वस्तुओं को बरामद करने वाले अन्वेषण अधिकारी के साक्ष्य विश्वसनीय पाए जाते तो मामला अलग हो सकता था। अन्वेषण अधिकारी का बयान पूरी तरह से निराधार है। अभिलेख में ऐसा कुछ भी नहीं है जो यह दर्शाता हो कि उक्त साक्षियों ने अपने बयान से पक्षद्रोही गए थे। स्वतंत्र साक्षियों की परिक्षण और भी जरूरी थी क्योंकि तलाशी और जब्ती के संबंध में सरकारी गवाहों के बयान में बड़ी संख्या में विसंगतियां हैं, जिन पर अब हम ध्यान दे सकते हैं।(जोर दिया गया)

26. एनडीपीएस अधिनियम की धारा 52 ए या उसके तहत नियमों/स्थायी आदेशों के तहत निर्धारित प्रक्रिया का गैर-अनुपालन या विलंबित अनुपालन न्यायालय को अभियोजन पक्ष के विरुद्ध प्रतिकूल निष्कर्ष निकालने के लिए प्रेरित कर सकता है। हालांकि, इस बारे में कोई सख्त नियम नहीं बनाया जा सकता है कि ऐसा निष्कर्ष कब निकाला जा



सकता है, और यह सब प्रत्येक मामले के विशिष्ट तथ्यों और परिस्थितियों पर निर्भर करेगा। एनडीपीएस अधिनियम की धारा 52 ए या उसके तहत स्थायी आदेश/नियमों से ऐसी देरी या विचलन, अपने आप में, अभियोजन पक्ष के मामले के लिए घातक नहीं होगा, जब तक कि भौतिक साक्ष्य में विसंगतियां न हों जो कि ऐसे अनुपालन किए जाने पर नहीं हो सकती थीं। आवश्यकता इस बात की है कि न्यायालय अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत भौतिक साक्ष्य में विद्यमान विसंगतियों के बारे में समग्र और संचयी दृष्टिकोण अपनाएं तथा उन्हें किसी भी प्रक्रियागत चूक या विचलन के साथ सहसंबंधित या संबद्ध करें। इस प्रकार, जब भी धारा 52 ए के तहत परिकल्पित प्रक्रिया में कोई विचलन या गैर-अनुपालन होता है, तो न्यायालयों को अभियोजन पक्ष के मामले में विद्यमान विसंगतियों को ध्यान में रखते हुए उसका मूल्यांकन करना आवश्यक है। प्रक्रियागत त्रुटि या कमी के ऐसे मामलों में, न्यायालयों को अतिरिक्त सावधानी बरतनी चाहिए तथा विसंगतियों को हल्के में नहीं लेना चाहिए या दरकिनार नहीं करना चाहिए, बल्कि उन्हें रिकॉर्ड पर उपलब्ध सामग्री की और भी अधिक कठोरता से जांच करनी चाहिए ताकि वे पहले ही ऐसी सामग्री के कब्जे, जब्ती या वसूली के पहलुओं के बारे में स्वयं संतुष्ट हो सकें।

27. ऐसी परिस्थितियों में, विशेष रूप से जहां पुलिस की ओर से एनडीपीएस अधिनियम की धारा 52 ए में निर्धारित प्रक्रिया का पालन करने में या अभियोजन पक्ष द्वारा इसके अनुपालन को पर्याप्त रूप से साबित करने में चूक हुई है, न्यायालय के लिए एनडीपीएस अधिनियम की धारा 54 के तहत अवैध सामग्री के कब्जे से अपराध के होने की वैधानिक धारणा का सहारा लेना उचित नहीं होगा, जब तक कि न्यायालय रिकॉर्ड पर मौजूद अन्य सामग्री से आरोपी व्यक्तियों से ऐसी सामग्री की जब्ती या वसूली के संबंध में अन्यथा संतुष्ट न हो। इसी तरह, एनडीपीएस अधिनियम की धारा 52 ए के तहत निर्धारित प्रक्रिया का पालन करने में किसी भी विफलता के बावजूद, यदि अभियोजन पक्ष द्वारा पेश की गई अभिलेख पर मौजूद अन्य सामग्री अभियुक्त से प्रतिबंधित पदार्थ की बरामदगी और कब्जे दोनों के संबंध में न्यायालय को विश्वास दिलाती है और संतुष्ट करती है, तो ऐसे मामलों में भी, अदालतें एनडीपीएस अधिनियम की धारा 52 ए के अनुसार किसी भी प्रक्रियात्मक दोष के बावजूद बिना किसी हिचकिचाहट के दोषसिद्धि के लिए आगे बढ़ सकती हैं।

28. खेत सिंह बनाम भारत संघ (2002) 4 एससीसी 380 में रिपोर्ट की गई इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया है कि एनसीबी द्वारा जारी स्थायी आदेश और उसमें परिकल्पित प्रक्रिया का उद्देश्य केवल अधिकारियों का मार्गदर्शन करना और यह देखना है कि जांच के प्रभारी अधिकारी द्वारा निष्पक्ष प्रक्रिया अपनाई जाए। इसने आगे कहा कि हालांकि, ऐसी परिस्थितियां हो सकती हैं जिनमें इन दिशा-निर्देशों का अक्षरशः पालन करना संभव नहीं होगा, विशेष रूप से मौके पर बरामदगी या मौके पर उचित सुविधा उपलब्ध न होने के मामलों में। प्रक्रियात्मक अवैधता की ऐसी परिस्थितियों में, इस प्रकार एकत्रित साक्ष्य अस्वीकार्य नहीं होंगे और इसके बजाय न्यायालय को केवल सभी

परिस्थितियों पर विचार करने और यह पता लगाने की आवश्यकता होगी कि अभियुक्त को कोई गंभीर पूर्वाग्रह हुआ है या नहीं। इसके अलावा, इसने निर्देश दिया कि प्रक्रियात्मक चूक या देरी के ऐसे मामलों में, अधिकारी ज्ञापन तैयार करते समय ऐसी देरी या कमी के पीछे के कारण को इंगित करने और स्पष्ट करने के लिए बाध्य होगा। इसके अलावा, इसने निर्देश दिया कि प्रक्रियागत चूक या देरी के ऐसे मामलों में, अधिकारी ज्ञापन तैयार करते समय ऐसी देरी या कमी के पीछे के कारण को इंगित करने और स्पष्ट करने के लिए बाध्य होगा। सुसंगत टिप्पणियां इस प्रकार हैं:---

“5. यह सत्य है कि एनडीपीएस अधिनियम के तहत अपराधों से संबंधित जांच के मामले में प्रतिबंधित लेख की तलाशी और जब्ती एक गंभीर पहलू है। एनडीपीएस अधिनियम और उसके तहत बनाए गए नियमों में विस्तृत प्रक्रिया और दिशा-निर्देश दिए गए हैं कि किस तरह से तलाशी और जब्ती की जानी है। यदि इन दिशा-निर्देशों का कोई उल्लंघन होता है, तो अदालतें इसे गंभीरता से लेंगी और इसका लाभ आरोपी को दिया जाएगा। एनडीपीएस अधिनियम के तहत अपराध गंभीर प्रकृति के हैं और कानून के तहत निर्धारित न्यूनतम सजा लंबी अवधि के लिए कारावास है। चूंकि किसी भी मादक दवा या मनोदैहिक पदार्थ को अपने पास रखना अधिनियम के तहत दंडनीय है, इसलिए अपीलकर्ता से लेख की जब्ती अत्यंत महत्वपूर्ण है।

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

10. एनडीपीएस अधिनियम के दायरे में आने वाले अपराधों की जांच के प्रभारी अधिकारी द्वारा नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, नई दिल्ली द्वारा जारी निर्देशों का पालन किया जाना है, भले ही ये निर्देश कानून की ताकत नहीं रखते हैं। इनका उद्देश्य अधिकारियों का मार्गदर्शन करना और यह देखना है कि जांच के प्रभारी अधिकारी द्वारा निष्पक्ष प्रक्रिया अपनाई जाए। यह सत्य है कि जब अन्वेषण या तलाशी के दौरान कोई प्रतिबंधित वस्तु जब्त की जाती है, तो कानून के अनुसार मौके पर जब्ती महाजर तैयार किया जाना चाहिए। तथापि, ऐसी परिस्थितियां हो सकती हैं जिनमें अधिकारी के लिए घटनास्थल पर महाजर तैयार करना संभव नहीं होता, क्योंकि यह एक संयोगवश हुई बरामदगी हो सकती है और अधिकारी के पास घटनास्थल पर ही जब्ती महाजर तैयार करने की सुविधा नहीं हो सकती है। यदि जब्ती उस स्थान पर की जाती है जहां कोई गवाह नहीं है और प्रतिबंधित वस्तु को तौलने की सुविधा नहीं है या अन्य अपेक्षित सुविधाओं का अभाव है, तो अधिकारी बाद में सुविधाएं उपलब्ध होने पर जब्ती महाजर तैयार कर सकता है, बशर्ते ऐसा करने के लिए उचित और उचित आधार हों। ऐसी स्थिति में, जहां जब्ती महाजर बाद में तैयार किया जाता है, अधिकारी को अपने कारण बताने चाहिए कि उसने बरामदगी के स्थान पर महाजर क्यों नहीं तैयार किया। यदि जब्ती सूची तैयार करने में अत्यधिक विलम्ब किया जाता है, तो इससे आरोपी से कथित रूप से जब्त प्रतिबंधित वस्तु के साथ छेड़छाड़ करने का अवसर मिल सकता है। यह भी आरोप लगाया जा सकता है कि जब्त की गई वस्तु को दूसरे के स्थान पर रखा गया था और अभियुक्त को गलत तरीके से

फंसाने के लिए कुछ अन्य वस्तुएं रखी गई थीं। इन संदिग्ध परिस्थितियों से बचने के लिए और तलाशी और जब्ती के संबंध में निष्पक्ष प्रक्रिया के लिए, हमेशा उस स्थान पर ही जब्ती महाजर तैयार करना वांछनीय है जहां से प्रतिबंधित वस्तुओं को हिरासत में लिया गया था।

XX

16. इस मामले में कानून बहुत स्पष्ट है कि यदि तलाशी और जब्ती करने में किसी प्रकार की प्रक्रियागत अवैधता है, तो भी इस प्रकार एकत्रित साक्ष्य अग्राह्य नहीं होंगे और न्यायालय सभी परिस्थितियों पर विचार करेगा तथा यह पता लगाएगा कि क्या अभियुक्त को कोई गंभीर नुकसान पहुंचाया गया है। यदि तलाशी और जब्ती कानून और प्रक्रिया की पूर्ण अवहेलना थी और ऐसी तलाशी या जब्ती के दौरान एकत्रित साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ या छेड़छाड़ की कोई संभावना थी, तो यह कहा जा सकता है कि साक्ष्य साक्ष्य में अग्राह्य नहीं है।” (जोर दिया गया)

29. उपरोक्त जैसा ही दृष्टिकोण पंजाब राज्य बनाम माखन चंद के मामले में (2004) 3 एससीसी 453 में दर्ज निर्णय में दोहराया गया था, जिसमें इस न्यायालय ने एनडीपीएस अधिनियम की धारा 52 ए और उसके तहत जारी स्थायी आदेश(ओं) के तात्पर्य की जांच करने के बाद यह माना था कि उक्त आदेश के तहत निर्धारित प्रक्रिया का उद्देश्य केवल अधिकारियों को यह देखने के लिए मार्गदर्शन करना है कि अन्वेषण के प्रभारी अधिकारी द्वारा निष्पक्ष प्रक्रिया अपनाई जाए और वे अनिवार्य नियम नहीं हैं।सुसंगत टिप्पणियां इस प्रकार हैं:---

“10. इस तर्क में भी दो कारणों से कोई सार नहीं है। सबसे पहले, धारा 52-ए, जैसा कि सीमांत नोट से संकेत मिलता है, “जब्त की गई मादक दवाओं और मनःप्रभावी पदार्थों के निराकरण” से संबंधित है। उप-धारा (1) के तहत, केंद्र सरकार को आधिकारिक राजपत्र में एक अधिसूचना द्वारा, खतरनाक प्रकृति, चोरी की संवेदनशीलता, प्रतिस्थापन, उचित भंडारण स्थान की बाधाओं और इस तरह के अन्य प्रासंगिक विचारों को ध्यान में रखते हुए कुछ मादक दवाओं या मनःप्रभावी पदार्थों को निर्दिष्ट करने का अधिकार है, ताकि भले ही वे किसी आपराधिक मामले में जब्त की गई भौतिक वस्तुएं हों, उन्हें उप-धारा (2) और (3) में निर्धारित प्रक्रिया का पालन करने के बाद निपटाया जा सके। यदि भारत आंबले बनाम छत्तीसगढ़ राज्य के 6 जनवरी, 2025 के भारतीय कानून – <http://indiankanoon.org/doc/94312390/> 27 धारा 52-ए की उप-धारा (2) और (3) में निर्धारित प्रक्रिया का अनुपालन किया जाता है और आवेदन पर मजिस्ट्रेट उप-धारा (2) द्वारा परिकल्पित प्रमाण-पत्र जारी करता है, तो उप-धारा (4) में यह प्रावधान है कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 या दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 में किसी विपरीत बात के होते हुए भी, धारा 52-ए की उप-धारा (2) के अंतर्गत मजिस्ट्रेट द्वारा प्रमाणित ऐसी सूची, मादक औषधियों या पदार्थों की तस्वीरें और नमूनों की कोई सूची अपराध के संबंध में प्राथमिक साक्ष्य मानी जाएगी। अतः, धारा 52-ए(1) केंद्र सरकार को अभियुक्त की तलाशी के लिए प्रक्रिया निर्धारित करने का



अधिकार नहीं देती है, बल्कि केवल जब्त मादक औषधियों और मनःप्रभावी पदार्थों के निपटान से संबंधित है।

11. दूसरे, जब खेत सिंह बनाम भारत संघ मामले में यही स्थायी आदेश विचारार्थ आए तो इस न्यायालय ने यह विचार व्यक्त किया कि उनका उद्देश्य केवल अधिकारियों को यह देखने के लिए मार्गदर्शन प्रदान करना है कि जांच के प्रभारी अधिकारी द्वारा निष्पक्ष प्रक्रिया अपनाई जाए। यह भी अभिनिर्धारित किया गया कि वे अटल नियम नहीं थे क्योंकि ऐसी परिस्थितियां हो सकती हैं जिनमें जब्ती अधिकारी के लिए मौके पर माजर तैयार करना संभव नहीं हो सकता है, अगर यह एक संयोगवश बरामदगी है, जहां अधिकारी के पास मौके पर ही जब्ती माजर तैयार करने की सुविधा नहीं हो सकती है। इसलिए, हमें इस तर्क में कोई सार नहीं पाते हैं। ” (जोर दिया गया)

30. इस प्रकार, ऊपर से यह स्पष्ट है कि एनडीपीएस अधिनियम की धारा 52 ए के संदर्भ में स्थायी आदेश/नियमों द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का उद्देश्य केवल अधिकारियों का मार्गदर्शन करना और यह सुनिश्चित करना है कि जांच के प्रभारी अधिकारी द्वारा एक निष्पक्ष प्रक्रिया अपनाई जाए, और इस प्रकार जो आवश्यक है वह इसमें निर्धारित प्रक्रिया का पर्याप्त अनुपालन है। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अलग-अलग परिस्थितियों के कारण ऐसी परिस्थितियाँ हो सकती हैं, जिनमें जब्त किए गए प्रतिबंधित पदार्थ को नमूना लेने के उद्देश्य से तुरंत भेजना हमेशा संभव नहीं हो सकता है। यह विभिन्न कारकों के कारण हो सकता है, जैसे कि प्रतिबंधित पदार्थ की मात्रा, जब्ती के स्थान की अजीबोगरीब प्रकृति, या जब्त किए गए पदार्थ की अस्थिरता के कारण धीमी और सुरक्षित हैंडलिंग की आवश्यकता हो सकती है। ऐसी परिस्थितियाँ हो सकती हैं, जहाँ नमूना लेने के बाद ऐसे प्रतिबंधित पदार्थ को उसके खतरनाक स्वभाव के कारण संरक्षित नहीं किया जा सकता है और उसे तुरंत नष्ट कर दिया जाना चाहिए या इसके विपरीत, जहाँ मामले की प्रकृति की माँग है कि उन्हें संरक्षित किया जाए और छुआ न जाए। संभावनाओं या स्थितियों की ऐसी विविधता के कारण, न तो पुलिस से वास्तविक रूप से धारा 52 ए या उसके संबद्ध नियमों/आदेशों में निर्धारित प्रक्रिया का सख्ती से पालन करने की अपेक्षा की जा सकती है, न ही प्रत्येक मामले की अलग-अलग स्थितियों या आवश्यकताओं के कारण, प्रत्येक प्रक्रिया का एक निश्चित समयावधि में अनुपालन करने पर जोर देने के लिए कोई सख्त फार्मूला लागू किया जा सकता है। इस प्रकार, वास्तव में जो आवश्यक है वह केवल एनडीपीएस अधिनियम की धारा 52 ए और उसके तहत बनाए गए स्थायी आदेश/नियमों के तहत निर्धारित प्रक्रिया का पर्याप्त अनुपालन है, और इसमें कोई भी विसंगति या विचलन अदालत को प्रत्येक मामले के तथ्यों के अनुसार पुलिस के खिलाफ प्रतिकूल निष्कर्ष निकालने के लिए प्रेरित कर सकता है। जब वाद के परिणाम की बात आती है, तो ऐसी विसंगतियों सहित अभिलेख पर मौजूद संपूर्ण सामग्री का संचयी दृष्टिकोण लेने के बाद ही न्यायालय को अभियुक्त को दोषी ठहराना या दोषमुक्त करना चाहिए। धारा 52 ए के तहत परिकल्पित प्रक्रिया का



गैर-अनुपालन केवल उन मामलों में घातक हो सकता है जहां ऐसा गैर-अनुपालन मामले के मूल या मूल तक जाता है। दूसरे शब्दों में, विसंगति ऐसी होनी चाहिए कि यह अभियोजन पक्ष के पूरे मामले को संदिग्ध बना दे, जैसे कि ऐसे मामले जहां जब्त किए गए पदार्थ के रंग या विवरण में एफएसएल रिपोर्ट में बताए गए विवरण से महत्वपूर्ण विसंगतियां हों, जैसा कि नूर आगा (सुप्रा) के मामले में था, या जहां प्रतिबंधित पदार्थ को सब्जियों जैसी किसी अन्य वस्तु के साथ मिलाकर संग्रहीत किया गया था, और इस बात का कोई विश्वसनीय संकेत नहीं है कि 6 जनवरी, 2025 को भारत आम्बेले बनाम छत्तीसगढ़ राज्य भारतीय कानून <http://indiankanoon.org/doc/94312390/> 28 मादक पदार्थ को अलग किया गया था और फिर स्थायी आदेश या नियमों के तहत आवश्यक रूप से तौला गया था, जिससे जब्त की गई वास्तविक मात्रा पर संदेह पैदा होता है जैसा कि मोहम्मद खालिद (सुप्रा) का मामला था, या जहां बरामदगी ही संदिग्ध है और किसी भी गवाह द्वारा पुष्टि नहीं की गई है जैसे कि मांगीलाल (सुप्रा) में, या जहां धारा 52 ए के उल्लंघन में जब्त की गई थोक सामग्री को संरक्षित करने के निर्देश के बावजूद अदालत में पेश नहीं किया गया था आदि। ये उदाहरण केवल इस बात पर स्पष्टता लाने के उद्देश्य से हैं कि किसी दिए गए मामले में क्या महत्वपूर्ण विसंगति हो सकती है, और किसी भी तरह से प्रकृति में संपूर्ण नहीं है या एनडीपीएस अधिनियम के तहत किसी भी कार्यवाही में यांत्रिक रूप से लागू होने की उम्मीद नहीं है। न्यायालयों को विशिष्ट तथ्यों, रिकार्ड में उपलब्ध सामग्रियों तथा प्रस्तुत साक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए यह देखना होगा कि महत्वपूर्ण विसंगति क्या है। साथ ही, हम न्यायालयों को सावधान कर सकते हैं कि वे मौजूद विसंगतियों को देखते समय अति-तकनीकी न बनें, जैसे कि नमूने के वजन, रंग या संख्या में मामूली अंतर आदि। न्यायालय ऐसी विसंगतियों को देखते हुए अभियोजन पक्ष के पूरे मामले को खारिज नहीं कर सकता है, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि सार्वजनिक स्थान पर एक अधिकारी अपने साथ एक अच्छा तराजू नहीं रखता है, जैसा कि नूर आगा (सुप्रा) में कहा गया है। केवल वे विसंगतियां ही प्रासंगिक हो सकती हैं, जिनमें विशेष रूप से अवैध कब्जे या वसूली का संदेह या गलत धारणा पैदा करने या जब्त किए गए पदार्थ की क्षमता, गुणवत्ता या वजन को बढ़ा-चढ़ाकर बताने की प्रवृत्ति होती है, न कि केवल लिपिकीय गलतियाँ, परंतु कि उन्हें ठीक से समझाया गया हो। अभियोजन पक्ष के मामले के लिए कोई विशेष विसंगति महत्वपूर्ण है या नहीं, यह प्रत्येक मामले के तथ्यों, जब्त किए गए पदार्थ की प्रकृति, रिकॉर्ड पर मौजूद साक्ष्य की गुणवत्ता आदि पर निर्भर करेगा।

31. साथ ही, इस तथ्य पर भी ध्यान देना चाहिए कि एनडीपीएस अधिनियम की धारा 52 ए केवल एक प्रक्रियात्मक प्रावधान है जो मादक दवाओं और मनोविकार नाशक पदार्थों की जब्ती, सूची और निपटान से संबंधित है और यह जब्ती या वसूली को साबित करने के लिए साक्ष्य नियमों को विस्तृत रूप से निर्धारित नहीं करता है, न ही यह इस बात को निर्धारित करता है कि विचारण के दौरान साक्ष्य किस तरह से पेश किए जाने चाहिए। यह किसी भी तरह से यह निर्धारित नहीं करता है कि



मादक पदार्थों की जब्ती या वसूली को कैसे साबित किया जाना चाहिए या इसे साबित करने के लिए साक्ष्य के रूप में क्या पेश किया जा सकता है। बल्कि, यह साक्ष्य के सामान्य सिद्धांत हैं, जैसा कि साक्ष्य अधिनियम में निहित है जो यह नियंत्रित करते हैं कि जब्ती या वसूली को कैसे साबित किया जा सकता है।

32. इस प्रकार, एनडीपीएस अधिनियम की धारा 52 ए के तहत प्रक्रिया का अनुपालन किए बिना अभियोजन पक्ष खुद को असहाय नहीं बनाएगा, बल्कि इस संबंध में ठोस सबूत पेश करके जैसे कि जब्ती अधिकारी की जांच करके, बरामदगी के लिए स्वतंत्र गवाहों को पेश करके या अदालत के समक्ष जब्त पदार्थों की मूल मात्रा पेश करके प्रतिबंधित पदार्थ की जब्ती या वसूली को साबित कर सकता है। इन सामग्रियों के साक्ष्य मूल्य का अंततः अदालत द्वारा मूल्यांकन और जांच की जानी है। न्यायालय को इस बात पर विचार करना चाहिए कि क्या साक्ष्य विश्वास पैदा करते हैं। न्यायालय को परिस्थितियों की समग्रता और गवाहों की विश्वसनीयता पर गौर करना चाहिए, तथा इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जहां ऐसी प्रक्रिया का उल्लंघन किया गया हो, वहां उनकी जांच में अधिक सावधानी बरती जाए। सभी साक्ष्यों के संचयी प्रभाव पर विचार किया जाना चाहिए, ताकि यह निर्धारित किया जा सके कि अभियोजन पक्ष ने मामले को उचित संदेह से परे सफलतापूर्वक स्थापित किया है या नहीं, जैसा कि नूर आगा (सुप्रा) में कहा गया है।

33. यहां तक कि ऐसे मामलों में भी जहां धारा 52 ए की प्रक्रियात्मक आवश्यकताओं का अनुपालन नहीं किया गया है, यह जरूरी नहीं है कि यह मुकदमे को निष्प्रभावी कर दे या स्वतः बरी कर दिया जाए। न्यायालयों ने लगातार अभिनिर्धारित किया है कि प्रक्रियागत चूक को समग्र साक्ष्य के संदर्भ में देखा जाना चाहिए। यदि अभियोजन पक्ष अन्यथा हिरासत की श्रृंखला स्थापित कर सकता है, विश्वसनीय गवाही के साथ जब्ती की पुष्टि कर सकता है, और अपने मामले को उचित संदेह से परे साबित कर सकता है, तो धारा 52 ए का अनुपालन न करना घातक नहीं हो सकता है। 6 जनवरी, 2025 को भारत आंबले बनाम छत्तीसगढ़ राज्य भारतीय कानून - <http://indiankanoon.org/doc/94312390/> 29 प्रक्रियात्मक तकनीकीताओं के बजाय मूल न्याय पर जोर दिया जाना चाहिए, और यह ध्यान में रखना चाहिए कि एनडीपीएस अधिनियम का हितकारी उद्देश्य मादक पदार्थों की तस्करी के खतरे को रोकना है।

34. इस स्तर पर हम किसी भी भ्रम को दूर करने के उद्देश्य से धारा 52 ए उप-धारा (4) के दायरे और तात्पर्य को स्पष्ट कर सकते हैं। धारा 52 ए की उप-धारा (4) में प्रावधान है कि एनडीपीएस अधिनियम के तहत अपराध की सुनवाई करने वाली प्रत्येक न्यायालय, जब्त पदार्थ की सूची, फोटोग्राफ और नमूनों को प्राथमिक साक्ष्य के रूप में मानेगी, जिन्हें मजिस्ट्रेट द्वारा प्रमाणित किया गया है।



35. इस प्रावधान में यह शामिल है कि, जहां जब्त पदार्थ को सशक्त अधिकारी को भेजे जाने के बाद उसकी सूची बनाई जाती है, फोटोग्राफ लिए जाते हैं और उसके बाद उक्त प्रावधान और नियमों/स्थायी आदेश(ओं) के तहत निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार उसमें से नमूने लिए जाते हैं और उसे मजिस्ट्रेट द्वारा विधिवत प्रमाणित भी किया जाता है, तो ऐसी प्रमाणित सूची, फोटोग्राफ और नमूनों को अनिवार्य रूप से प्राथमिक साक्ष्य माना जाना चाहिए। "करेगा" शब्द का उपयोग यह दर्शाता है कि अदालत के लिए इसे प्राथमिक साक्ष्य के रूप में मानना अनिवार्य होगा यदि दो शर्तें पूरी होती हैं:---

(i) कि सूची, तस्वीरें और लिए गए नमूने मजिस्ट्रेट द्वारा प्रमाणित हैं और (ii) कि अदालत संतुष्ट है कि पूरी प्रक्रिया प्रावधान और उसके नियमों / स्थायी आदेश(ओं) के तहत निर्धारित प्रक्रिया के अनुरूप और पर्याप्त अनुपालन में की गई थी।

36. यहां तक कि जहां जब्त सामग्री की बड़ी मात्रा अदालत के समक्ष पेश नहीं की जाती है या एनडीपीएस अधिनियम की धारा 52 ए के उल्लंघन में नष्ट या निपटा दी जाती है, वह महत्वहीन होगी और किसी भी सूची, तस्वीरों या ऐसे पदार्थ के नमूनों के साक्ष्य मूल्य पर कोई असर नहीं पड़ेगा जो मजिस्ट्रेट द्वारा विधिवत प्रमाणित है और उक्त प्रावधान के अनुसार तैयार किया गया है। हम ऐसा इसलिए कहते हैं, क्योंकि धारा 52 ए की उप-धारा (4) को जब्त पदार्थों के क्षरण, चोरी या चोरी के मुद्दे को कम करने के लिए डाला गया था यह अक्सर देखा गया है कि, लम्बी विचारण के कारण, जब्त पदार्थ की गुणवत्ता खराब हो जाती है या मुकदमा शुरू होने से पहले ही पूरी तरह से गायब हो जाती है, तथा जब तक वाद शुरू होता है, तब तक ऐसी सामग्री की अनुपलब्धता के कारण कब्जे को स्थापित करने के लिए महत्वपूर्ण साक्ष्य गायब हो जाता है और वाद का परिणाम एक पूर्व निष्कर्ष बन जाता है। विधानमंडल इस तथ्य से अवगत है, इसलिए उसने प्रतिबंधित पदार्थ के कब्जे के ऐसे सबूतों को सूची, फोटोग्राफ और नमूनों के रूप में संरक्षित करने का एक तत्व पेश करना उचित समझा और मजिस्ट्रेट द्वारा प्रमाणीकरण की आवश्यकता के माध्यम से कुछ प्रक्रियात्मक सुरक्षा उपायों और पर्यवेक्षण को शामिल किया, जो अब धारा 52 ए की उप-धारा (4) में निहित है। दूसरे शब्दों में, जब्त पदार्थ की कोई भी सूची, फोटोग्राफ या नमूने जो एनडीपीएस अधिनियम की धारा 52 ए और उसके तहत नियमों/स्थायी आदेशों के तहत प्रक्रिया के पर्याप्त अनुपालन में तैयार किए गए थे, उन्हें अनिवार्य रूप से प्राथमिक साक्ष्य के रूप में माना जाएगा, इस तथ्य के बावजूद कि थोक मात्रा का उत्पादन नहीं किया गया है और कथित तौर पर बिना किसी वैध आदेश के नष्ट कर दिया गया है।

37. धारा 52 ए उपधारा (4) को पारंपरिक अर्थों में साक्ष्य के नियम के रूप में नहीं जोड़ा जाना चाहिए, अर्थात्, इसे यह निर्धारित करने के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए कि केवल प्रमाणित सूची, जब्त पदार्थ की तस्वीरें और नमूने ही प्राथमिक साक्ष्य होंगे और कुछ नहीं। 'प्राथमिक साक्ष्य' या 'सर्वश्रेष्ठ साक्ष्य' का नियम अब सुस्थापित हो चुका है। किसी तथ्य को साबित करने के लिए, ऐसे



तथ्य को स्थापित करने के लिए केवल सर्वश्रेष्ठ साक्ष्य ही प्रस्तुत किया जाना चाहिए जो अक्सर मूल साक्ष्य ही होता है। कब्जा साबित करने के लिए प्राथमिक साक्ष्य हमेशा जब्त पदार्थ ही होगा। तथापि, भारत आम्बेले बनाम छत्तीसगढ़ राज्य के मामले में 6 जनवरी, 2025 को भारतीय कानून - <http://indiankanoon.org/doc/94312390/30> चोरी, अपकर्ष या किसी अन्य संबंधित परिस्थितियों के कारण, विचारण की अवधि तक ऐसे पदार्थ के संरक्षण में चुनौतियों को कम करने के लिए, विधायिका ने जानबूझकर धारा 52 ए में उप-धारा (4) को शामिल किया ताकि ऐसे जब्त पदार्थ की सूची, फोटो या नमूने को भी मूल पदार्थ के समान स्थान पर लाया जा सके, और एक काल्पनिक कल्पना द्वारा यह प्रावधान किया है कि उन्हें प्राथमिक साक्ष्य के रूप में माना जाएगा, बशर्ते कि उन्हें निर्धारित प्रक्रिया के पर्याप्त अनुपालन में मजिस्ट्रेट द्वारा प्रमाणित किया गया हो। हालांकि, इसका मतलब यह नहीं है कि जहां धारा 52 ए का अनुपालन नहीं किया गया है, अभियोजन पक्ष असहाय होगा, और इस संबंध में अन्य प्राथमिक साक्ष्य पेश करके कब्जे के तथ्य को साबित नहीं कर सकता है, जैसे कि या तो थोक मात्रा को स्वयं प्रस्तुत करना, या बरामदगी के गवाहों की जांच करना आदि। एनडीपीएस अधिनियम की धारा 52 ए उपधारा (4) क्या करती है, यह एक काल्पनिक कल्पना के माध्यम से प्राथमिक साक्ष्य का एक नया रूप बनाती है जो मूल जब्त पदार्थ के बराबर होगी, जब तक कि यह उसके तहत निर्धारित प्रक्रिया के पर्याप्त अनुपालन में किया गया था, हालांकि, उक्त प्रावधान किसी भी तरह से मूल में अन्य साक्ष्य को प्राथमिक साक्ष्य के रूप में बाहर नहीं करता है, यह न तो कब्जे को साबित करने के तरीके को केवल एक मोड़ तक सीमित करता है या प्रतिबंधित करता है, यानी, ऐसी प्रमाणित सूची, तस्वीरों या नमूनों के माध्यम से, जिससे अन्य सभी सामग्री को 'साक्ष्य' के दायरे से बाहर रखा जाता है, बल्कि यह कहा जा सकता है कि प्रावधान इसके बजाय ऐसे कब्जे को साबित करने में साक्ष्य नियम का एक अतिरिक्त अंग प्रदान करता है। इस प्रकार, एनडीपीएस अधिनियम की धारा 52 ए के अनुपालन के अभाव में भी, न्यायालय जब्त पदार्थ के रूप में अन्य ठोस साक्ष्य या जांचे गए साक्षियों की गवाही को नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं, ऐसे किसी अनुपालन के अभाव में न्यायालयों से केवल इतना ही अपेक्षित है कि वे साक्ष्य का मूल्यांकन करते समय अधिक सावधानी बरतें।"

31. इसके अलावा भारत आंबेले (सुप्रा) के उक्त निर्णय के कंडिका 41 और 42 में अभिनिर्धारित किया गया है कि:

"41. 89 के स्थायी आदेश संख्या 1 के खंड 2.5 के अनुसार, जब्ती के समय लागू प्रासंगिक स्थायी आदेश, जहां कई पैकेज या पैकेट जब्त किए जाते हैं, उन्हें पहले रंग परीक्षण के माध्यम से पहचान परीक्षण के अधीन किया जाना चाहिए ताकि यह पता लगाया जा सके कि कौन से पैकेट एक ही आकार, वजन और सामग्री के हैं। इसके बाद, सभी पैकेट जो सभी मामलों में एक दूसरे के समान हैं, उन्हें लॉट में बांधा जाएगा, गांजा के मामले में, उन्हें 40 पैकेट के लॉट में बांधा जा सकता है।



इसके बाद प्रत्येक लॉट से एक नमूना और एक प्रति निकाला जाना है। संबंधित खंड इस प्रकार है:---

“ 2.5 हालांकि, जब एक साथ जब्त किए गए पैकेज/कंटेनरों का आकार और वजन समान हो, उन पर समान चिह्न हों, और प्रत्येक पैकेज की सामग्री ड्रग पहचान किट द्वारा रंग परीक्षण पर समान परिणाम दे, जो निर्णायक रूप से यह दर्शाता हो कि पैकेज सभी मामलों में समान हैं, तो पैकेज/कंटेनरों को सावधानीपूर्वक दस पैकेज/कंटेनरों के समूह में बांटा जा सकता है, सिवाय गांजा और हशीश (चरस) के मामले में, जहां इसे 40 ऐसे पैकेज/कंटेनरों के समूह में बांटा जा सकता है। पैकेज/कंटेनरों के ऐसे प्रत्येक समूह के लिए, एक नमूना (दो प्रतियों में) लिया जा सकता है।”

42. 89 के स्थायी आदेश संख्या 1 के खंड 2.8 के अनुसार, किसी विशेष लॉट से नमूना लेते समय, प्रतिनिधि नमूने लिए जाने चाहिए, दूसरे शब्दों में, किसी विशेष लॉट में प्रत्येक पैकेट से समान मात्रा लेनी होगी, जिसे फिर एक समग्र नमूना बनाने के लिए मिश्रित करना होगा। संबंधित खंड इस प्रकार है:---

“ 2.8 किसी विशेष लॉट से एक नमूना (दो प्रतियों में) निकालते समय, यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि उस लॉट के प्रत्येक पैकेज/कंटेनर से समान मात्रा में प्रतिनिधि नमूने लिए जाएं और उन्हें एक साथ मिलाकर एक समग्र संपूर्ण बनाया जाए, जिससे उस लॉट के लिए नमूने निकाले जाएं।”

32. वर्तमान मामले में संपूर्ण तलाशी और जब्ती कार्यवाही वास्तविक पाई गई है और पुलिस कर्मियों द्वारा सही प्रक्रिया अपनाई गई है जब पुलिस कर्मों गुप्त सूचना पर मौके पर गए, तो उन्होंने पाया कि अपीलकर्ता के साथ 5 बैग थे जिनमें कुल 25 पैकेट गांजा रखा हुआ था जिसे पुलिस ने एनडीपीएस अधिनियम की प्रक्रिया और प्रावधानों के तहत जब्त कर लिया। इसका वजन और नमूना कार्यकारी मजिस्ट्रेट/तहसीलदार द्वारा साबित किया गया और अभियोजन पक्ष के गवाहों के साक्ष्य को अविश्वसनीय बनाने के लिए कुछ भी प्रतिकूल नहीं पाया जा सका और यह साबित हुआ कि अपीलकर्ता के पास इतनी बड़ी मात्रा में गांजा पाया गया, अर्थात् 117.100 किलोग्राम। अपीलकर्ता अपने मामले को सही साबित करने के लिए कोई स्पष्ट आरोप नहीं लगा सका कि एनडीपीएस अधिनियम के किसी भी अनिवार्य प्रावधान का अनुपालन नहीं किया गया है।

33. अभिलेख पर ऐसी कोई सामग्री उपलब्ध नहीं है जिससे यह निष्कर्ष निकाला जा सके कि आरोपी को मामले में झूठा फंसाया गया है। एनडीपीएस अधिनियम की धारा 20 में प्रावधान है कि जो कोई भी इस अधिनियम या इसमें बनाए गए किसी नियम के किसी प्रावधान का उल्लंघन करते हुए गांजा रखता है, उसे उक्त प्रावधानों के अनुसार दंडित किया जाएगा। धारा 20 (बी) में "कब्जा" शब्द का प्रयोग किया गया है। वर्तमान मामले में अपीलकर्ता के पास 117.100 किलोग्राम गांजा पाया गया। विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय काफी विस्तृत है, जिसमें मामले के हर पहलू पर विचार



किया गया है और इसमें किए गए विश्लेषण से स्पष्ट रूप से साबित होता है कि अपीलकर्ता ने विचाराधीन अपराध किया है। वह इस बारे में कोई सुझाव नहीं दे सका कि उसके पास इतनी बड़ी मात्रा में गांजा कैसे पाया गया।

34. एफएसएल रिपोर्ट एक्स.-पी/51 आगे साबित करती है कि गांजा के कुल मात्रा से लिए गए गांजा के सैंपल पैकेट में गांजा पाया गया, जो अपीलकर्ता के खिलाफ आरोप को और पुष्ट करता है।

35. उपरोक्त चर्चा के मद्देनजर, यह न्यायालय इस विचार पर है कि विद्वान ट्रायल कोर्ट द्वारा पारित निर्णय साक्ष्य की उचित समीक्षा पर आधारित है जो न तो विकृत है और न ही रिकॉर्ड के साथ-साथ माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित कानून के विपरीत है और इसमें किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है, इसलिए अपीलकर्ता को दी गई सजा और दंडादेश की पुष्टि की जाती है।

36. परिणामस्वरूप, अपीलकर्ता द्वारा दायर अपील को खारिज कर दिया जाता है। अपीलकर्ता के जेल में होने की सूचना है। उसे विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा दी गई जेल की सजा की शेष अवधि काटनी होगी।

37. रजिस्ट्री को निर्देश दिया जाता है कि वह इस निर्णय की एक प्रति संबंधित जेल अधीक्षक को भेजे, जहां अपीलकर्ता अपनी जेल की सजा काट रहा है, ताकि अपीलकर्ता को इसकी सूचना दी जा सके और उसे सूचित किया जा सके कि वह उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति या सर्वोच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति की सहायता से माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष अपील करके इस न्यायालय द्वारा पारित वर्तमान निर्णय को चुनौती देने के लिए स्वतंत्र है।

38. इस निर्णय की एक प्रति और मूल अभिलेखों को आवश्यक जानकारी और अनुपालन के लिए संबंधित विचारण न्यायालय को प्रेषित किया जाए।

सही/-

(रवींद्र कुमार अग्रवाल)

न्यायाधीश

सही/-

(रमेश सिन्हा)

मुख्य न्यायाधीश



यहां तक कि यदि केंद्र सरकार द्वारा जारी स्थायी आदेश संख्या 1/89 का अनुपालन न करने और एनडीपीएस अधिनियम की धारा 52 ए से विलंब या विचलन के संबंध में किसी प्रकार की प्रक्रियात्मक अनियमितता है, तो यह अभियोजन के मामले के लिए अपने आप में घातक नहीं होगा, यदि अपीलकर्ता के कब्जे से प्रतिबंधित माल की बरामदगी और जब्ती अन्य साक्ष्यों से स्थापित हो जाती है।



(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरण: हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग

हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी

अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयी एवं

व्यवाहरिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेजी स्वरूप ही अभिप्रमाणित माना



जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी
जाएगी।

